



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 390 राँची, बुधवार,

26 अगस्त, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

20 अगस्त, 2020 ई०।

संख्या:-11/बंदी विविध-07/2019- 2983 -- केन्द्रीय कारा, दुमका में संसीमित आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्नांकित बंदियों को झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की दिनांक-17.07.2020 एवं 20.07.2020 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र.	सजावार बंदी का नाम, पिता का नाम एवं उम्र	पूरा पता	सत्रवाद सं. एवं धारा
1	2	3	4
1	सीताराम मरांडी पे0- स्व0 जोल्हा मरांडी उम्र- 65 वर्ष (वृद्ध)	पता- बिसनपुर, जरमुण्डी, दुमका।	SC- 137/05 US- 302 IPC
2	बारिक मियाँ, पे.-स्व. मताल मियाँ, उम्र- 65 वर्ष (वृद्ध)	सा.- धरमपुर, नारायणपुर, जिला- जामताड़ा	GR-89/02, SC-121/02/116/02, Narayanpur P.S.- 17/02 US- 302/149, 307/149, 147 & 148 IPC.

3	कामदेव मरिक, पे0-लुटन मरिक, उम्र-78 वर्ष (वृद्ध)	बन्दरबासा, जसीडीह, देवघर।	SC-07/1984 Us-302/149 IPC & 3 Exp. Act.
4	समशेर अली पे0-समीरुद्दीन मियाँ उम्र- 58 वर्ष लगभग	साकिन- श्रीकुण्ड कोटलपोखर, थाना-बरहरवा, जिला-साहेबगंज।	सत्रवाद सं0-34/90, बरहरवा थाना कांड सं0-47/89, GR-148/89 धारा-302 IPC
5	प्रहलाद महतो पे0-साफी महतो उम्र-57 वर्ष	कुरमीडीह, टोला बाराबाद, मधुपुर, देवघर।	SC-40/86 24/87 Us-147, 379, 302/34, 342, 323, 325 IPC
6	कैलाश पासवान, पे0-श्री पासवान, उम्र-51 वर्ष	घुटी, महागमा, गोड्डा।	Mahagama P.S-26/2004, GR- 204/2004, SC-182/2004 146/2009 Us-302 IPC & 27 Arms Act.
7	मोतीलाल साहा, पे0-स्व0 मन्नु साहा, उम्र-50 वर्ष	सकड़भंगा, तालझारी, साहेबगंज।	Taljhari P.S-40/2005, GR-384/2005, SC-142/2006 Us-302/149 IPC & 27 Arms Act.
8	सुकल सोरेन पे0-स्व चुण्डा सोरेन उम्र- 49 वर्ष लगभग	साकिन-पाथरदहा थाना-रानेश्वर जिला-दुमका।	सत्रवाद सं0-271/04, रानेश्वर थाना कांड सं.- 35/04, GR-482/04, धारा-302 IPC
9	मनोज साहा, पे0-स्व0 मन्नु साहा, उम्र-41 वर्ष	सकड़भंगा, तालझारी, साहेबगंज।	Taljhari P.S-40/2005, GR-384/2005, SC-142/2006 Us-302/149 IPC & 27 Arms Act.
10	छोटु लहेरी, पे.-नन्दु लहेरी, उम्र- 34 वर्ष लगभग	साकिन- द्वारीचक पथरगामा, थाना - पथरगामा, जिला - गोड्डा।	SC -145/2003 11/2007 US- 302/34 IPC.

2. उपरोक्त सभी बंदियों को कारामुक्ति के पूर्व संलग्न शपथपत्र भरना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
